श्रीमती इन्दिरा गांची : उन के भाषण से मेरे ऊपर यह ग्रसर हन्ना कि जब इतने देश हमारे खिलाफ हो गये हैं तो हम रूस से भी लड ले जिस में बह भी खिलाफ हो जाये। दसरे उन को लगा कि 1954 में जो कुछ हमा या उन्ही परिस्थितियों में ग्रव की बार हमारा रिऐक्शन भलग है। मगर तब से भव दिनया बिल्कल बदल गई हैं। उस समय रूस भीर भ्रमरीका दोनों एक इसरे से लड़ने को तैयार थे। उस वक्त उन दोनों के बीच में जो तनाव था वह ग्राव बहुत कम हुआ है और बहुत से मामलों में वह संग संग काम कर रहे हैं। तो दनिया की जो हालत तब थी वह काफी बदली है। **जै**सा में ने पहले कहा हमारी हालत बदली है चाहे इस समय हम प्रपने पैगों पर पूरी तरह से नहीं खड़े हो सकते हैं लेकिन तब भी इस दिशा में हम काफी धारों बढ़े हैं भीर हम की प्रयत्न करना चाहिये कि हम जल्दी भ्रपने लक्ष्य तक पष्टंच जायें।

हमारे प्रेजिडेन्ट जो रूस गये थे उस के बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि ज्वाइंट कम्पनिक में क्यों यह नहीं कहा गया । तो ज्वार्येट कम्युनिके में ग्राम तौर पर डिसें-टिग नोटस नहीं होते हैं।

श्री मध् लिमये: ऐसा होता है। प्रधान मंत्री का निवेदन में काट सकता है। जब किसी चीज पर मतैक्य सम्भव नहीं होता है तब हमेशा यह परम्परा रही है कि दोनों भपनी भपनी बातें रखते हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांची : सवाल यह है कि इस समय हमारे देश के भीर विश्व के इंटरेस्ट में क्या है। जो भी हम कहे या करें उस को हमें इसी द्ष्टिकोण् से देखना है। यह नहीं कि गुस्सें में भाकर कोई भी ऐसी बात करें जिस में हम को हानि हो। जैसा मैं ने कहा कि हम को यह पसन्द नहीं है कि इस पाकिस्तान को हथियार दे लेकिन हम को कोई हक नहीं है कहने का कि वह हिषयार न दे।

भी मधु लिमये: वह दूसरी बात है। (स्यवधान)

भी बसराज संबोक : धगर तीशकन्य न होता तो हक न हीता, लेकिन ताशकन्द हमा इस लिये हक है।

भी मचु लिमये: मेरे पहले प्रश्न का जवाब माना चाहिये। मैं ने पहले कहा था कि सरकारी प्रवक्ता रूस की नीति के बारे में क्यों बयान देते थे । . मेरे प्रश्न का जवाग नहीं भ्राया ।

MR. SPEAKER: If such a speech is made, I am myself not able to locate the question.

भी मध् लिमये: मैंने साफ शश्दों में कहा था कि सरकारी प्रवक्वा रूसी नीति के बारे में समय समय पर बायान दे कर कहते थे कि कोई परिवर्तन नहीं है । कभी रिशयन्स ने ऐसा नहीं कहा। मैं जानना चाहता हं कि विदेश मंत्रालय गलतफहमी फैलाने का काम क्यों करता है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी: हम ने यह स्मियों ने ही कहा था, भीर जहां तक मुझे याद है जब भी मैंने यह बास कही तब मैं ने जरूर कहा कि हम को वह विश्वास दिलाते

भी मधु लिमये : हमारे धनामिक प्रवस्ता होते हैं जो सरकार की श्रोर से हमेशा इस प्रकार की वकवास करते हैं। ध्रनौमिक प्रवक्ताओं के बारे में मैं ने पूछा था। का जवाब माना चाहिये भौर विदेश मंत्रालय को भविष्य में जिम्मेदारी से काम करना चाहिये ।

12.54 hrs.

MOTION FOR ADJOURNMENT SUPPLY OF ARMS BY USSR TO PAKISTAN

MR. SPEAKER: I have to inform the House that I have received 22 notices of Adjournment Motion on supply of arms by USSR to Pakistan.

I give my consent to the moving of the Adjournment Motion, Notices thereof have been received from Sarvashri Piloo Mody, K. L. Gupta, D. N. Patodia, R. K. Amin, N. K. Somani. M. R. Masani, Hardayal Devgun, Bal Raj Madhok, K. Lakkappa, Prakash Vir Shastri, Yashpal Singh, Hem Barua Om Prakash Tyagi, Kameshwar Singh, Tridib Chaudhuri, S. N. Dwivedi, Madhu Limaye, S. S. Kothari, Yaina Datt Sharma, Atal Bihari Vajpayee, Beni Shankar Sharma and Sumar Guha. Shri Piloo Mody may now ask for leave of the House to move the Motion. His notice reads as follows:-

"Failure of the Government of India's Foreign Policy as is evidenced from the Soviet Union's agreeing to supply arms including lethal weapons to Pakistan."

SHRI PILOO MODY (Godhra): I beg to move for leave to move my adjournment motion.

MR. SPEAKER: Is leave to move the motion opposed?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH): We oppose it. (Interruptions.) They can discuss it.

MR. SPEAKER: As leave is oppossed, I ask Members who are in favour of leave being granted to rise in their seats.

SEVERAL HON. MEMBERS rose

MR. SPEAKER: I find that more than fifty Members have risen. Leave is granted. The adjournment motion will be taken up normally at 4 P. M. and normally 2½ hours are allotted. (Interruptions.) We may take half an hour or a quarter of an hour more. We shall take it up at 3 P. M. so that we may adjourn a little early.

श्री मधु लिमये (मुंगेर): उप-विदेश मंत्री भीर वित मली के खिलाफ मेरा विशेषाधिकार का सवाल है। उन्होंने हम लोगों को बहुत बुरा भला कहा है। कहा है कि मह विकृत है। भाज कम से कन लोक सभा के सामने वह खाये। MR. SPEAKER: I will not allow anything else now. I will not answer that point; it is not proper. There are a number of other motions. We go to the next business.

12.50 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

PRESIDENT'S PROCLAMATION FE. STATE OF
BIHAR, ETC.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): I beg to lay on the Table—

- (i) A copy of the Proclamation dated the 29th June, 1968, issued by the President under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Bihar published in Notification No. G. S. R. 1228 in Gazette of India dated the 29th June, 1968, under article 356 (3) of the Constitution.
- (ii) A copy of the Order dated the 29th June 1968, made by the President in pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the above Proclamation.
- 2. A copy of the Report of the Governor of Bihar dated the 26th June, 1968, to the President.
 [Placed in Library. See No. LT-1318 68].

ORDINANCES PROMULGATED DURING JUNE & JULY, 1968

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH): I beg to lay on the Table a copy each of the following Ordinances, under provisions of article 123 (2) of the Constitution:—

(1) The Advocates (Amendment)
Ordinance, 1968 (No. 3 of
1968) promulgated by the
President on the 5th June,
1968.